

जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र सामेति (ले आउट प्लान) की 239 वीं बैठक दिनांक 27.10.2016 को अपरान्ह 12.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। एजेण्डा संख्या 1 वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी एल पी –प्रथम ,एजेण्डा संख्या 2 से 6 वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी एल पी द्वितीय व एजेण्डा संख्या 7 से 11 एवं अतिरिक्त एजेण्डा नं. 2 से 4 वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी एल पी तृतीय व एजेण्डा 12 से 21 एवं अतिरिक्त एजेण्डा नं. 1 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही विवरण को संकलित कर इकजाई कार्यवाही विवरण तैयार किया गया है जो निम्नानुसार है :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर
2. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर
3. श्री ओ.पी.बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
4. श्रीमती साधना शर्मा, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री बी.डी जाट, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
2. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी एलपी –द्वितीय
3. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
4. श्री ओ.पी.शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक ले आउट प्लान – तृतीय
5. श्री आर.एन.बडगुर्जर उपायुक्त जोन – 7
6. श्री देवेन्द्र कुमार जैन उपायुक्त जोन – 11
7. श्री एम.डी.मीणा उपायुक्त जोन – 13
8. श्री करण सिंह गोठवाल उपायुक्त पी.आर.एन (उत्तर)
9. श्री राधेश्याम मीणा तहसीलदार जोन-12
10. श्री ललित भण्डारी उप नगर नियोजक बीपीसी एलपी-द्वितीय
11. श्रीमती उषा जैन सलाहकार जनसम्पर्क
12. सहायक नगर नियोजक जोन -7, 9, 11, 12, 13 ,14, एलपी व मास्टर प्लान

एजेण्डा संख्या:-1

239/27.10.2016

विषय:-बीपीसी (एलपी) की बैठक संख्या 238 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि हेतु।

समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या:-2 (जोन- पी आर एन उत्तर)

239/27.10.2016

विषय:- गोविन्दम टॉवर से कनकपुरा रेलवे स्टेशन तक 36 मीटर सैक्टर सड़क के एलाईनमेन्ट संशोधन बाबत। (संलग्न मानचित्र में मार्क बिन्दु 1 से 2)

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत सैक्टर सड़क के संबंध में माननीय न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण सड़क की चौड़ाई व एलाईमेंट यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-3 (जोन-पी आर एन उत्तर)

239/27.10.2016

विषय:- हनुमान वाटिका-ए की 18 मीटर सेक्टर सड़क की चौड़ाई 12 मीटर करने अथवा विलोपित कर पास की सोसायटी द्वारा छोड़ी गई मौके की 60 फीट सड़क को सेक्टर सड़क बनाने बाबत्।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत सड़क को श्री श्याम विहार योजना में अनुमोदित 18 मीटर सड़क को यथावत रखते हुए हनुमान वाटिका योजना व हरि नगर योजना में मौके पर उपलब्ध सड़क के मध्य बिन्दु से दोनों तरफ से बराबर भूमि लेते हुए 40 फीट सेक्टर सड़क रखे जाने व हनुमान वाटिका के पास उपलब्ध 18 मीटर सड़क को सेक्टर सड़क किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-4 (जोन-पी आर एन उत्तर)

239/27.10.2016

विषय:- श्री करणी विहार योजना से राधाकृष्ण विहार योजना से होते हुए तिलक विहार-ए योजना व गंगा विहार योजना के मध्य तक अनुमोदित एकीकृत मानचित्र की 24 मीटर सड़क को विलोपित कर तिलक विहार व तिलक विहार-ए के मध्य तिलक विहार योजना में अनुमोदित 18 मीटर सड़क को 24 मीटर अनुमोदित किये जाने बाबत्। (संलग्न मानचित्र पर मार्क नारंगी रंग से मार्क बिन्दु A से B तथा बिन्दु C से D दर्शित अनुमोदित 24 मीटर सड़क को विलोपित करने एवं पूर्व में अनुमोदित 18 मीटर (गुलाबी रंग से मार्क) को 24 मीटर करने बाबत्।)

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि जोन में प्रदर्शित मानचित्र में (बिन्दु संख्या 'ए' से 'बी' व 'सी' से 'डी') सेक्टर सड़क को सेक्टर प्लान के अनुसार ही यथावत रखे जाने हेतु सुझाव प्राप्त हुये होने के कारण प्रदर्शित मानचित्र में बिन्दु संख्या 'ए' से 'बी' व 'सी' से 'डी' सड़क को यथावत रखे जाने व बिन्दु संख्या 'ए' से 'बी' व 'सी' से 'डी' को विलोपित नहीं किये जाने के कारण गुलाबी रंग से मार्क 60 फीट सेक्टर सड़क के एलाईन्मेंट में संशोधन करते हुए तिलक विहार व तिलक विहार-ए के मध्य मौके पर उपलब्ध 40 फीट सड़क को तिलक विहार योजना में अनुमोदित 60 फीट सड़क के एलाईन्मेंट अनुसार ही, मिश्रा फार्म हाउस से सड़क हेतु भूमि लेते हुए, सेक्टर प्लान में 60 फीट रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

[Handwritten signature]

एजेण्डा संख्या:-5 (जोन- पी आर एन उत्तर)
239/27.10.2016

विषय:- कनकपुरा फाटक से तकिया की चौकी तक 80 फीट सैक्टर सड़क को गोकुलपुरा स्कूल के खेल मैदान से सीधा मिलाया जाने बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रदर्शित मानचित्र में बिन्दु संख्या 12 से 13 मौके पर उपलब्ध सड़क से 24 मीटर सड़क हेतु शेष भूमि स्कूल की तरफ लेते हुए बिन्दु संख्या 14-ए से 15-ए के मध्य इन्टीग्रेटेड प्लान में प्रस्तावित सड़क को विलोपित करते हुए बिन्दु संख्या 14 से 15 तक मौके पर उपलब्ध सड़क प्रोपर्टी से प्रोपर्टी तक भूमि लेते हुए 24 मीटर किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-6 (जोन- पी आर एन उत्तर)
239/27.10.2016

विषय:- तेजाजी मंदिर गोकुलपुरा से होकर श्री करणी उमा विहार-ई होते हुए श्री करणी उमा विहार विस्तार में स्थित 220 के.वी. हाईटेंशन लाईन तक मिलाने वाली 40 फीट रोड को 80 फीट किये जाने बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा तैयार किये गये मानचित्र में प्रदर्शित बिन्दु संख्या 11 से 13) मौके पर मौजूद सड़क के मध्य से दोनों तरफ बराबर भूमि लेते हुए 24 मीटर किये जाने के नये प्रस्ताव पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए नये प्रस्ताव के अनुसार 24 मीटर सड़क के प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-7 (जोन- 11)
239/27.10.2016

विषय:- मास्टर विकास योजना-2025 सेटलाईट बगरू टाउन में प्रस्तावित 75 मीटर व 30 मीटर रोड के एलाइमेन्ट में संशोधन बाबत।

समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा में जोन द्वारा उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान में 75 मीटर व 30 मीटर रोड के निर्धारित अलाइमेन्ट एवं वेदान्त सिटी योजना के अनुमोदन से हुई विसंगति के संबंध में अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) द्वारा जाँच कर आयुक्त महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

एजेण्डा संख्या:-8 (जोन- 11)
239/27.10.2016

विषय:- उमेश रावत, रविन्द्र रावत व अन्य, खसरा नं. 1758 से 1760, 1762, 1770, 1777, 1772/1 ग्राम-मुहाना तहसील सांगानेर की 1.31 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एकल पट्टा अनुमोदन हेतु।

समिति द्वारा एजेण्डा में उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विचार-विमर्श पश्चात मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल-3ए के तहत एकल पट्टा अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-9 (जोन- 12)

239/27.10.2016

विषय:- मैसर्स कनक वृन्दावन रिसोर्ट्स लि. खसरा नं. 121, 123, 125, राजस्व ग्राम- सिरसी, तहसील जयपुर की 2087.32 वर्गगज भूमि के एकल पट्टे के संबंध में।

बैठक द्वारा समस्त तथ्यों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। एजेण्डा में जोन द्वारा उल्लेखित अनुसार मौके पर प्रश्नगत भूमि के मुख्य प्रवेश तक उपलब्ध लगभग 40 फिट चौड़ाई एवं गैर मुमकिन रास्ता के मध्यनजर समिति द्वारा 40 फिट सड़क के आधार पर भूखण्ड का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-10 (जोन- 12)

239/27.10.2016

विषय:- श्री कैलाश चन्द्र शर्मा खंसरा नं. 570 से 572 ग्राम राजावास तह0 आमेर की 2.77 हैक्टेयर

भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना अन्तर्गत एकल पट्टे बाबत।

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा में जोन द्वारा उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विचार-विमर्श किया गया। मास्टर प्लान-2025 में उक्त भूमि का उपयोग यू-2 है जिसमें 30 मीटर पहुँच मार्ग होना अनिवार्य है, परन्तु प्रश्नगत भूमि को इसके समीप स्थित गैर अनुमोदित योजना की 9 मीटर चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग उपलब्ध है। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि मास्टर विकास योजना के यू-2 क्षेत्र में एकल पट्टे हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल एवं सड़क की चौड़ाई में शिथिलता का प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से मागदर्शन प्राप्त होने के पश्चात् जोन द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया जाए।

एजेण्डा संख्या:-11 (जोन- 13)

239/27.10.2016

विषय:- खसरा नं. 71 एवं 71/4 ग्राम कानोता, तह0 बस्सी की 09-04 बीघा भूमि का मुख्यमंत्री जन

आवास योजना के तहत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा एजेण्डा में उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विचार-विमर्श पश्चात् मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल-3ए के तहत प्रकरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-12 (जोन-7)

239/27.10.2016

विषय:- नेशनल हा.को सोसायटी लिमिटेड की योजना अमर नगर स्कीम नं. 5, सिरसी रोड, जयपुर के

भूखण्ड सं. 5, 6, 11 व 12 के पुनर्गठन करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार भूखण्ड संख्या 5,6,11 व 12 (कुल क्षेत्रफल 1793.71 वर्गगज) के पुनर्गठन का अनुमोदन किया गया। प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक का है अतः राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19 फरवरी 2010 की अनुपालना में राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। पुनर्गठित भूखण्ड में जविप्रा भवन विनियम के अनुसार पैरामीटर्स अंकित किये जावें तथा नियमानुसार पुनर्गठन शुल्क जमा करवाया जावे।

J.P.

एजेण्डा संख्या:-13 (जोन-7)

239/27.10.2016

विषय:- सैक्टर 32 के अन्तर्गत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में जगदम्बा नगर ई के आवासीय प्लॉटों के उपर से 40 फीट सैक्टर रोड को विलोपित कर समीपस्थ जगदम्बा नगर-ई की 30 फीट सडक को 40 फीट करने के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत सैक्टर सडक को विलोपित किये जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

एजेण्डा संख्या:-14 (जोन-7)

239/27.10.2016

विषय:- भूखण्ड सं. 51 व 51ए, स्कीम नं. 6, जय भवानी कॉलोनी से सम्बन्धित अपील संख्या

200/2014 में माननीय अपीलीय अधिकरण, जविप्रा, जयपुर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 20.04.15 की पालना किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूरे प्रकरण की उपायुक्त जोन द्वारा गहन जांच की जाकर अपनी अनुशंषा के प्रस्ताव के साथ पुनः समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-15 (जोन-7)

239/27.10.2016

विषय:- मैसर्स सिटी वण्डर कॉलोनाईजर्स एलएलपी राजस्व ग्राम-भांकरोटा, तहसील सांगानेर

आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) एकल पट्टा भूखण्ड के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रकरण ग्रुप हाउसिंग के दो भूखण्डों (क्षेत्रफल 10,000 वर्गमीटर से अधिक) का है अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21-6-2012 की अनुपालना में राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-16 (जोन-8)

239/27.10.2016

विषय:- खुशी बिल्डकॉन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्राम नरौत्तमपुरा तहसील सांगानेर जन आवास एकल पट्टा।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए आवेदित भूखण्ड का, आवेदक से सैक्टर प्लान अनुसार हाईटेंशन लाइन से नो कन्सट्रक्शन जोन व दोनो ओर 40 फिट सडक छोड़ते हुए संशोधित मानचित्र लेकर अनुमोदित किया जावे। प्रकरण 2 हैक्टेयर से कम का है अतः आवेदक से सुविधा क्षेत्र के एवज में 5 प्रतिशत के समतुल्य राशी ली जावे।



एजेण्डा संख्या:-17 (जोन-9)

239 / 27.10.2016

विषय:- निजी खातेदारी आवासीय योजना साउथ एवेन्यु ब्लॉक बी में अफोर्डेबल हाउसिंग हेतु आरक्षित ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी के भूखण्डों को सामान्य आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रकरण में ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी का आवंटन हो चुका है, व आवंटन राशी जमा हो चुकी है तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 11 जून 2015 के प्रावधानानुसार उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

एजेण्डा संख्या:-18 (जोन-9)

239 / 27.10.2016

विषय:- जविप्रा द्वारा अनुमोदित तोपखाना देश गृ.नि.स.स. की योजना बुद्ध विहार में 60 फीट सैक्टर रोड के अलाइन्मेंट के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। मौके पर सैक्टर सडक का क्षेत्र सर्वे प्लान के अनुसार रिक्त है अतः उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत सैक्टर सडक के संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर 60 फिट सैक्टर सडक के अलाइन्मेंट को यथावत रखा जाने का निर्णय गया। यह भी निर्णय लिया गया कि सैक्टर सडक के मार्गाधिकार को छोड़ कर प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-19 (जोन-9)

239 / 27.10.2016

विषय:- जोन-9 के क्षेत्राधिकार में निजी खातेदारी की आवासीय योजना " आशादीप किंग्स कोर्ट " में पार्क हेतु आरक्षित 4066.11 वर्ग मीटर के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल 406.60 वर्ग मीटर का कम्युनिटी हॉल व अन्य सुविधाओं हेतु एण्ड यूज निर्धारण बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। राजस्थान टाउन शिप पालिसी 2010 (10 हैक्टेयर से अधिक) में टेबल बी बिन्दु सं . 2 फेसिलिटीज में निम्नानुसार प्रावधान है :

10% area reserved for open area/park in layout plan shall be allowed to be provided at different places subject to minimum area of 3000 Sq.m at one place. On the remaining open area, construction of one clubhouse will also be permitted. The plinth area of the clubhouse should be 10% of the open area plot and the permissible Built up area of the clubhouse will not exceed 15% of the same.

प्रश्नगत प्रकरण में योजना में 4066.11 वर्गमीटर क्षेत्र का पार्क दिया गया है। इसमें आवेदक खातेदार द्वारा कम्युनिटी हाल/ क्लब हाउस के साथ जिम, जिम व तरंगनाड हेतु स्वीकृति चाही गई है। अतः प्रकरण में राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिये जाने का निर्णय लिया गया कि खातेदार को चाहे गये उपयोग के लिए पार्क क्षेत्र में चाही गई सुविधाओं के लिए प्लिंथ एरिया हेतु $4066.11 - 3000 = 1066.11$ वर्गमीटर भूमि के 10 प्रतिशत क्षेत्र पर विचार किया जावे अथवा 4066.11 वर्गमीटर (कुल पार्क क्षेत्र) भूमि के 10 प्रतिशत क्षेत्र पर विचार किया जावे।

उपरोक्तानुसार राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण पुनः समिति के समक्ष अन्य समस्त तथ्यों सहित निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।



एजेण्डा संख्या:-20 (मास्टर प्लान)

239 / 27.10.2016

विषय:- प्रारूप सेक्टर प्लान-72 के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर सेक्टर प्लान 72 का अनुमोदन कर दो प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर आम जनता से आपत्ति -सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-21 (मास्टर प्लान)

239 / 27.10.2016

विषय:- अरबन अफेयर्स सब-ग्रुप (chief Ministers Advisory council) की बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में मास्टर विकास योजना-2025 के वॉल्यूम-4 Development Promotion and Control Regulation में वर्णित भू-उपयोगों में अनुज्ञेय गतिविधियों व उनके मापदण्डों के बारे में पुर्नविचार किये जाने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि बीपीसी (एल पी) की बैठक संख्या 235 दिनांक 26-4-2016 में एजेण्डा संख्या 15 पर लिये गये निर्णयानुसार वाणिज्यिक भू उपयोग में " मेजर आयल डीपों एण्ड मार्केटिंग टर्मिनल कम बूस्टर पम्पींग स्टेशन " गतिविधी का समावेश कर प्रस्ताव राज्य सरकार को विचारार्थ एवम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-1 (जोन-9)

239 / 27.10.2016

विषय:- आवेदक रेवरेन्स बिल्डर्स जरिये पार्टनर श्री शब्बीर खान पुत्र श्री नसीब खान योजना आशादीप किंग्स कार्ट का उपविभाजन करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत उपविभाजन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्र का है अतः राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19 फरवरी 2010 की अनुपालना में राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। आवेदक से नियमानुसार उपविभाजन शुल्क जमा करवाया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-2 (जोन-11)

239 / 27.10.2016

विषय:-श्री दिनेश अग्रवाल, कमल अग्रवाल व श्री प्रहलाद अग्रवाल खसरा नं. 896/1, 897/1, 899, 897/2 एवं 899/1 ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर की 1.098 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा एजेण्डा में उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विचार-विमर्श पश्चात प्रश्नगत प्रकरण में संस्थानिक से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही समानान्तर रूप से पृथक से प्रकियाधीन होने के कारण मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल-3ए के तहत सशर्त अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। नियमानुसार आवासीय भू-उपयोग स्वीकृत होने के पश्चात जोन द्वारा प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-3 (जोन-12)

239/27.10.2016

विषय:-खसरा नं. 1059, 1060, 1061, 1065, 1066, 1067, 1068/2, 1069, 1070, 1071, 1072/1, 1072/2, 1073, 1074, 1075, 1083/2, 1085, 1086, 1087, 1088/1 ग्राम नीदड़, तह0 आमेर की 11.80 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना के संबंध में।


जोन द्वारा एजेण्डा में उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा उक्त योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। एजेण्डा के बिन्दु संख्या-7 में उल्लेखित नियमानुसार राशि ली जाए।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-4 (जोन-12)

239/27.10.2016

विषय:-सनसिटी फेज-प्रथम एवं द्वितीय, ग्राम नीदड़, तह0 आमेर के संशोधित योजना अनुमोदन के संबंध में।

सनसिटी योजना के पूर्व अनुमोदित योजना मानचित्र एवं विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधित योजना मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जोन द्वारा एजेण्डा में उल्लेखित समस्त तथ्यों एवं जविप्रा के प्रारूप सेक्टर प्लान-72 में प्रस्तावित सडको के कारण इस योजना की सडको के क्षेत्रफल में वृद्धि आदि समस्त बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा संशोधित योजना मानचित्र को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत योजना की 90वीं वर्ष 2009 से पूर्व की होने के कारण नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2012 के अनुसार एवम आदेश दिनांक 11.6.2015 के अनुसार इस योजना में ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी का प्रावधान रखा जाना आवश्यक नहीं है। एजेण्डा के बिन्दु संख्या-1 में उल्लेखित भूखण्डों की लीजडीड एवं साईट प्लान में आवश्यक संशोधन जोन द्वारा कराया जाए। एजेण्डा के बिन्दु संख्या 5 एवं 10 में उल्लेखित राशि जमा कराई जाए।



21/11/16
सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

क्रमांक: जविप्रा/स.स/बीपीसी (एल.पी.)/2016 /डी-128 दिनांक 02/10/16

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

- 1 निजी सचिव, आयुक्त महोदय
- 2 निजी सचिव, सचिव, महोदय
- 3 निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना)
- 4 अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम /पीआरएन/एल पी सी/भूमि)
- 5 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एम.पी.)
- 6 उपायुक्त जोन 1 से 19
- 7 विशेषाधिकारी जनसम्पर्क
- 8 सिस्टम एनालिस्ट
- 9 उप रजिस्ट्रार सहायिका


21/11/16
सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)